

राजस्थान सरकार  
राजस्व (ग्रुप-6)विभाग

क्रमांक:- प, 6(24) राज.6/01/70

जयपुर, दिनांक:- 14.9.18


अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व (लवणीय क्षेत्र में भूमि का आवंटन) नियम, 2007 के नियम 6 के उप-नियम (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्वारा नीचे अनुसूची में वर्णित भूमियों को राजस्व (ख) विभाग की आज्ञा क्रमांक प.2 (168) राज/ख/ग्रुप-3/71 से लवण क्षेत्र घोषित किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अनुसूची में वर्णित भूमियों को तत्काल प्रभाव से लवणीय क्षेत्र से वापिस लेती है:-

अनुसूची

ग्राम	तहसील	जिला	खसरा नं.	किस्म	क्षेत्रफल	लवणीय क्षेत्र से वापिस लिये जाने वाला क्षेत्रफल
कलावा	पचपदरा	बाडमेर	9	गैर मुमकीन रास्ता	10 बीघा	2 बीघा 15 बिस्वा
कलावा	पचपदरा	बाडमेर	5	गैर मुमकीन खार	215 बीघा 2 बिस्वा	192 बीघा 7 बिस्वा
कलावा	पचपदरा	बाडमेर	11	गैर मुमकीन खार	748 बीघा 13 बिस्वा	54 बीघा 18 बिस्वा

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(अनिल कुमार अग्रवाल)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सचिव, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग।
4. आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर।

5. संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
6. जिला कलक्टर, बाडमेर।
7. निदेशक राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को असाधारण अंक में दिनांक ..... में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
8. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
9. राविरा, राजस्व मण्डल अजमेर।
10. समस्त संयुक्त शासन सचिव एवं उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
11. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव